कार्यालय नगरपालिका परिषद, बहराइच।

पत्रांक–201 / रा0वि0आ0–पा0नि0 / नि0 कार्य / ई–टेण्डर / 2023–24 दिनांक 06 जुलाई, 2023

अल्पकालिक ई–निविदा सूचना

नगरपालिका परिषद, बहराइच में राज्य वित्त वित्त आयोग / पालिका निधि के अन्तर्गत स्वीकृत निम्न 01 निर्माण कार्य हेतु ई–निविदा निर्माण कार्यो के लिए वर्ष 2022–23 / 2023–24 हेतु नगरपालिका परिषद, बहराइच के साथ–साथ अन्य विभागों में पंजीकृत समस्त अनुभवी ठेकेदारों / फर्मो से प्रतिशत दर के आधार पर निम्नलिखित नियम एंव शर्तो के अधीन आमन्त्रित की जाती है। ई–निविदा सूचना आनलाइन दिनांक 05.07.2023 को अपरान्ह 2:00 बजे से दिनांक 14.07.2023 को अपरान्ह 03:00 बजे तक ई–टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। ठेकेदारों / फर्मो द्वारा उपरोक्त तिथियों एंव समय में ही ई–टेण्डरिंग के माध्यम से निविदायें http://etender.up.nic.in पर डाउनलोड करके अपलोड कर सकते है। कार्य की 10 प्रतिशत जमानत धनराशि एंव निविदा मूल्य अलग–अलग आर0टी0जी0एस0 / नेफ्ट के माध्यम से नगरपालिका परिषद, बहराइच के इण्डियन बैंक शाखा डिगिहा बहराइच में न्योक्ता प्रभार के नाम से संचालित बचत खाता सं0– 50383894033 IFS code IDIB000C601 में जमा की जायेगी। आनलाइन अपलोड की गयी प्रत्येक निविदा से सम्बंधित अभिलेखों (जैसे– जमानत धनराशि / निविदा मूल्य जमा रसीद, हैंसियत / चरित्र प्रमाण पत्र / पंजीकरण प्रमाण पत्र इत्यादि) की हार्ड कांपी (तकनीकी बिड) को निविदा के साथ अपलोड करना होगा। आनलाइन प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बिड दिनांक 14.07.2023 को अपरान्ह 4:00 बजे खोली जायेगी। तकनीकी बिड में अर्ह पाये गये निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदायें आनलाइन बाद में खोली जायेगी। जिसकी जानकारी ई–टेण्डर पोर्टल पर उपलब्ध होगी। प्राप्त आनलाइन निविदाओं को स्वीकृत / अस्वीकृत किये जाने का अधिकारी अध्यक्ष महोदया को होगा। कार्य का विवरण, अनुमानित लागत, दस प्रतिशत धरोहर राशि / जमानत धनराशि, निविदा मूल्य सहित विवरण निम्नवत् है–

क0सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (18 %जीएसटी सहित)	10 % धरोहर / जमानत धनराशि	निविदा मूल्य	जी0एस0टी0 18 %	ई–टेण्डरिंग शुल्क	निविदा प्रपत्र का कुल मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मो0 शिवनगर / दसई पुरवा में मुख्य मार्ग से इफको खाद केन्द्र के पास पुलिया से अशोक पाठक के मकान के पीछे तक ह्यूम पाइप एंव आर0सी0सी0 गहरी नाली का निर्माण कार्य।	976362.00	97650.00	1000.00	180.00	250.00	1430.00	दो माह

नियम व शर्ते–

1– टेण्डरदाता द्वारा प्रत्येक कार्य की 10 प्रतिशत धरोहर राशि / जमानत धनराशि एंव निविदा मूल्य की धनराशि को कार्यवार अलग–अलग नगरपालिका परिषद, बहराइच के इण्डियन बैंक शाखा डिगिहा बहराइच में न्योक्ता प्रभार के नाम से संचालित बचत खाता सं0– 50383894033 IFS code IDIB000C601 में RTGS / NEFT के माध्यम से जमा करके जमा रसीद / यू0टी0आर नम्बर ई–निविदा पोर्टल पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है एंव मूल जमा रसीद / यू0टी0आर0 नम्बर पालिका में जमा करना होगा अन्यथा निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।

2– निविदा दाता को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैंसियत प्रमाण पत्र व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जो निर्धारित समयावधि के अन्दर का हो उसे तथा रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित शपथ पत्र एंव फर्म के पंजीकरण का प्रमाण–पत्र, जी0एस0टी0 प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड, श्रम विभाग का प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण–पत्र ई–टेण्डर पोर्टल पर स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा मूल शपथ पत्र कार्यालय में जमा करना होगा।

3– पंजीकृत ठेकेदार / फर्म का वित्तीय वर्ष 2022–23 में विभाग का नवीनीकरण / पंजीकरण प्रमाण–पत्र ई–टेण्डर पोर्टल पर स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

4– समस्त निविदा ई–टेण्डरिंग के माध्यम से ही स्वीकार की जायेंगी, अन्य किसी माध्यम से कोई भी निविदा स्वीकार नही होगी।

5– ठेकेदार / फर्म का जी0एस0टी0 में एव श्रम विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है।

6– प्राप्त न्यूनतम निविदा की स्वीकृति उपरान्त न्यूनतम निविदादाता (नगरपालिका परिषद बहराइच के पंजीकृत ठेकेदार / फर्म को छोडकर) को अनुबन्ध से पूर्व नगरपालिका परिषद, बहराइच में नियमानुसार पंजीकरण कराना होगा तदोपरान्त नियमानुसार कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

7– स्थल पर कार्य पूर्ण होने से पूर्व प्रयुक्त निर्माण सामग्रियों की जांच ठेकेदार को अपने खर्च पर स्वयं करानी होगी।

8– प्रमुख सचिव नगर विकास अनुभाग–5 उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र सं0– 24वी0आई0पी0(1) / नौ–5–2017–120बजट / 2013 दिनांक 24.08.2017 के प्रस्तर –2 में दिये गये आदेश के अनुपालन में निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 05 वर्ष का अनुरक्षण / रखरखाव की जिम्मेदारी सम्बंधित ठेकेदार / फर्म की होगी। परियोजना लागत की 05 प्रतिशत धनराशि परफारमेन्स गारन्टी के रूप में 05 वर्ष रोंकने के उपरान्त सडक के समुचित रखरखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी।

9– आगणन में 18 जी0एस0टी0 सम्मिलित है किन्तु जी0एस0टी0 का भुगतान वर्तमान दरों के सापेक्ष नियमानुसार किया जायेगा।

10– उक्त कार्य हेतु कम से कम तीन–तीन निविदायें समस्त औपचारिकताओं सहित आन लाइन प्राप्त होने पर ही न्यूनतम निविदा की स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।

11– सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

12– निविदा की विस्तृत जानकारी नगरपालिका परिषद, बहराइच के निर्माण अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

13– किसी भी पंजीकृत ठेकेदार का ठेका स्वीकृत होने /कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात यदि कभी भी संज्ञान में आता है कि सम्बंधित किसी भी अभिलेख (प्रमाण पत्रों)/नियम के अनुसार ठेका पाने के लिए अनर्ह था अथवा सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामजिक कार्यो एंव संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो ऐसी दशा में प्रदान किया गया अनुबन्ध/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

14– नगरपालिका परिषद, बहराइच में पंजीकृत ठेकेदार/फर्मो को छोडकर निविदा में भाग लेने वाले अन्य विभागों के पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मो को पंजीकरण प्रमाण पत्र एंव निर्माण कार्यो के सम्बंध में अनुभव प्रमाण पत्र भी निविदा के साथ अपलोड करना होगा।

15– स्थलीय सत्यापन के दौरान यदि कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोई कमी पायी जाती है तो सम्बधित ठेकेदार/फर्म द्वारा तत्काल कार्य को मानक के अनुरूप ठीक कराना होगा अन्यथा कोई भी भुगतान नही किया जायेगा।

16– अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त किसी भी निविदा को अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा। इस सम्बंध मे किसी भी ठेकेदार/फर्म का कोई दावा मान्य नही होगा। निविदा मूल्य नान रिफण्डेबुल है।

17– न्यूनतम निविदा की स्वीकृति उपरान्त निर्गत कार्यादेश के अनुसार स्थल पर निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि के अन्दर न्यूनतम निविदादाता को पूर्ण कराना होगा। अन्यथा अनुबन्ध के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

18– उपरोक्त समस्त शर्तो का पालन ठेकेदार/फर्म को करना होगा अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

19– निविदा की तकनीकी बिड खोलने हेतु निर्धारित तिथि को यदि कोई अवकाश घोषित हो जाता है तो अगले कार्य दिवस में तकनीकी बिड खोली जायेगी।

Sudha devi

(बाल मुकुन्द मिश्र)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
बहराइच।

(सुधा देवी)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद
बहराइच।

पृ0सं0 व दिनांक– उपरोक्त

प्रतिलिपि–
1– जिलाधिकारी महोदय बहराइच को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बहराइच को सूचनार्थ प्रेषित।
3– नगरपालिका परिषद, बहराइच के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

06-07-23

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद,
बहराइच।